22/4/25

अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21/10/2024 के अनुसार प्रार्थी भंवर पुत्र बिहारी निवासी बिजारी डोरा बूंदी राजस्थान ने राशि 75000/- रुपये का सुपुर्दगीनामा तथा इतनी ही राशि का जमानतनामा श्री बन्टी पुत्र श्री हेमसिंह जाति जाटव निवासी हिननोरा का पुर थाना सदर जिला धौलपुर ने पेश किया है।

अ. पुर्वगार रोल आमान...
एकनोलेट से की, जो सरका...
पत्रावली की गई। अतः प्रकरण ...
मोटर साईकिल नम्बरी RJ 08 BS 622...
को सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये ...
है। थानाधिकारी थाना बाडी को निर्देश दिये
जावें कि उक्त वाहन अन्य किसी प्रकरण में
वांछित नहीं हो तो उक्त वाहन को प्रार्थी श्री
मेम्बर पुत्र श्री बिहारी निवासी विजारी डेरा
बूंदी राज० की शिनाख्त कर सुपुर्दगी में देवें।
तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में भिजवावें। प्रार्थी
मेम्बर को पाबन्द किया जाता है कि उक्त वाहन
को पेश करने हेतु जब भी न्यायालय द्वारा आदेश
दिये जायेंगे, उसके द्वारा उक्त वाहन को न्यायालय
में पेश कर दिया जावेगा। प्रार्थी के वाहन से
सम्बंधित मूल दस्तावेज वापस किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं तथा प्रकरण में थानाधिकारी थाना
बाडी से प्राप्त केस डायरी को वापस भिजवाई
जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

sd/-

श्रीनिधि बी टी
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)